न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर

बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 35/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. रूपकंवर पत्नि स्व. श्री जेंठूसिंह
2. मगनसिंह दत्तक पुत्र जेठूसिंह

} जाति राजपूत निवासी किरतासर तहसील नोखा जिला बीकानेर

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थीगणों की ओर से – श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 29.01.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार पूगल ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 डी.के. डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 124/03 किलां नं. 10, 11, 20, 21 में 3.12 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि ग्राम राणेवाला के खसरा 103 की कुल रकबा 166.11 बीघा मिसल बन्दोबस्त में जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065–2068 में वर्णित जोहड़ पायतन गैर मुमकिन भूमि की किस्म को मुमकिन काश्त में परिवर्तन कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश 07.03.59 के द्वारा जेठूसिंह पुत्र लूणसिंह राजपूत सा. 6 डीकेडी को भूमि पुख्ता आवंटन कर दी। वर्तमान रिकार्ड में दर्ज रूपकंवर पत्नि स्व. श्री जेठूसिंह, मगनसिंह दत्तक पुत्र जेठूसिंह राजपूत निवासी किरतासर तहसील नोखा की खातेदारी संबंधी आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री नरसाराम जाखड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 124/03 किलां नं. 10, 11, 20, 21 में 3.12 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 28.03.1989 के द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता स्व. श्री जेठूसिंह पुत्र लूणसिंह को आवंटित कर दी। उक्त आवंटित भूमि का नामान्तरण संख्या 114 दिनांक 05.05.2010 से विरासतन दर्ज हुआ है तथा नामान्तरण संख्या 119 दिनांक 06.08.2010 से रहन दर्ज हुआ है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन जौहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि चक 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 124/03 किलां नं. 10, 11, 20, 21 में 3 बीघा 12 बिश्वा भूमि नियमानुसार अप्रार्थीगण को आवंटन की गई थी तथा समस्त किश्ते अप्रार्थीगण के द्वारा राज्य सरकार को अदा करने पर नियमानुसार ही खातेदारी दी गई है, इसलिए अप्रार्थीगण उपरोक्त रकबा की खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकार्ड में भी उसका अंकन बतौर खातेदार ही चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 स्पेशल एक्ट होने के कारण ये प्रावधान उक्त प्रकरण पर किसी प्रकार से लागू ही नहीं होते है। किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई आदेश कानून के विपरीत पारित किया जाता है तो उसकी अपील कानूनन की जानी चाहिऐ थी, जो सरकार के द्वारा आज दिन तक नहीं की गई है। किसी भी पक्षकार को प्राप्त अधिकारों को बैकडोर एन्ट्री के द्वारा निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण कानून की परिधि में नहीं आने के कारण तथा रेफरेंस योग्य नहीं है। रेफरेंस मियाद बाहर है। बहस के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने RRT 2009-10 (Supp) 135, Revenue Board Ajmer के उद्धरण पेश करते हुवे निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण पूर्णतया गलत, गैर कानूनी, विधि विरूद्ध तथा मियाद बाहर होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 103 की कुल रकबा 166.11 बीघा गैर मुमकीन जोहड़ मजकूर दर्ज रिकार्ड है। जो कि मुताबिक उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 103 से अन्य रकबों के अलावा चक 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 124/03 किलां नं. 10, 11, 20, 21 में 3 बीघा 12 बिश्वा में पैमूद हुई। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के पति/पिता को आवंटित हुई है। मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत 2065–68 में प्रश्नगत भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 114 अप्रार्थीगण के नाम विरासतन दर्ज हुई है। मुताबिक आवंटन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) 1975 के अन्तर्गत किया गया है। जिसके विरूद्ध रेफरेंस पोषणीय है। आवंटित की गई भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला एवं सूची नं. 4 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थीगण के पति/पिता को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त नामान्तरकरण से संबंधित है जबकि प्रश्नगत प्रकरण भूमि आवंटन से संबंध में होने के कारण हूबहू चस्पा नहीं होती है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में चक 6 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 124/03 किलां नं. 10, 11, 20, 21 में 3.12 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.1989 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9. आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर